संख्या-33-दो(1)/XXXVI(2)/2008-604/01

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक : 8 अगस्त, 2008

विषय: जिला नैनीताल में न्यायिक अधिकारियों के अध्यासन हेतु भवन स्वामी से किराये पर लिये गये आवासीय भवन के किराये के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला नैनीताल में न्यायिक अधिकारियों के अध्यासन हेतु भवन स्वामी से किराये पर लिये गये आवासीय भवनों के किराये के भुगतान हेतु कुल रु० 84,800/-(चौरासी हजार आठ सौ रुपये मात्र) की धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(I) बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों तथा शासन के अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय ।

(II) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जाय ।

(III) निजी व्यक्तियों से किराये पर लिये गये भवनों के किराये का भुगतान नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् किया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के लिए अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या: 33-दो(1)/XXXVI(1)/2008-604/01-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिबन्धक, मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
3- संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
5- वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।